प्रेस नोट दिनांक 21.07.2026 जनपद प्रतापगढ़

प्रेस नोट दिनांक 21.07.2026
थाना उदयदपुर जनपद प्रतापगढ़

थाना उदयपुर पुलिस एवं साइबर सेल की संयुक्त कार्रवाई-

देशव्यापी म्यूल खाता (Mule Account) साइबर धोखाधड़ी रैकेट का पर्दाफाश, अंतर्राज्यीय गिरोह के 03 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में जनपद में साइबर अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगाने तथा साइबर अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक (पश्चिमी) श्री बृजनन्दन राय एवं क्षेत्राधिकारी लालगंज श्री राजीव द्विवेदी के कुशल पर्यवेक्षण तथा थाना प्रभारी उदयपुर श्री दीप नारायण के नेतृत्व में थाना उदयपुर पुलिस एवं साइबर सेल की संयुक्त टीम द्वारा समन्वय पोर्टल (Samanvay Portal) एवं एसडीआर (SDR) रिपोर्ट के गहन तकनीकी विश्लेषण के आधार पर देश के विभिन्न राज्यों में सक्रिय एक अंतर्राज्यीय साइबर धोखाधड़ी गिरोह का सफलतापूर्वक पर्दाफाश करते हुए उसके 03 शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की गई है। अभियुक्तों के विरुद्ध पूर्व से पंजीकृत अभियोग में प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर आवश्यक धाराओं की बढ़ोत्तरी करते हुए अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

घटना का विवरण-
साइबर अपराधों की रोकथाम के उद्देश्य से थाना उदयपुर पुलिस द्वारा क्षेत्र में संचालित संदिग्ध म्यूल खातों (Mule Accounts) का तकनीकी विश्लेषण किया जा रहा था। जांच के दौरान बैंक ऑफ इंडिया, शाखा राजापुर के खाता संख्या XXXXXXXXXXX1533 (खाताधारक–अनुज सिंह) एवं XXXXXXXXXXX1532 (खाताधारक–सोनू सिंह) संदिग्ध पाए गए। समन्वय पोर्टल पर जांच करने पर उक्त खातों के विरुद्ध गुजरात, छत्तीसगढ़ सहित देश के विभिन्न राज्यों से कुल 11 साइबर धोखाधड़ी की शिकायतें दर्ज होना प्रकाश में आया, जिनमें लगभग ₹49,100/- की ऑनलाइन धोखाधड़ी की गई थी।

अपराध करने का तरीका (Modus Operandi)- पूछताछ में ज्ञात हुआ कि गिरोह का सरगना दिल्ली निवासी मनीष अपने सहयोगियों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों के भोले-भाले व्यक्तियों को आर्थिक प्रलोभन देकर उनके नाम से बैंक खाते खुलवाता था। इसके उपरांत खातों से संबंधित एटीएम कार्ड, पासबुक, चेकबुक एवं यूपीआई क्यूआर कोड लगभग ₹7,000/- प्रतिमाह किराये पर लेकर साइबर अपराधियों को उपलब्ध कराए जाते थे। इन म्यूल खातों का उपयोग ऑनलाइन नौकरी दिलाने, फर्जी विज्ञापन, डिजिटल भुगतान एवं अन्य साइबर माध्यमों से धोखाधड़ी कर प्राप्त धनराशि को विभिन्न खातों में स्थानांतरित कर वास्तविक अपराधियों तक पहुंचाने के लिए किया जाता था, जिससे अपराध की वास्तविक कड़ी छिपी रहे।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. धर्मेन्द्र कुमार यादव पुत्र श्री रामसजीवन यादव निवासी – ग्राम रेवली, थाना उदयपुर, जनपद प्रतापगढ़।
(स्थानीय स्तर पर खाताधारकों से एटीएम कार्ड, पासबुक एवं क्यूआर कोड प्राप्त कर दिल्ली भेजने का कार्य करता था।)

2. मनीष पुत्र श्री प्रमोद वर्मा निवासी – WZ-1409B, नांगल राया, मायापुरी, साउथ ईस्ट दिल्ली।
(अंतर्राज्यीय साइबर गिरोह का संचालक।)

3. विनीत कुमार पुत्र श्री उदय कुमार निवासी – WZ-1531 TF, भूप सिंह गली, नांगल राया, नई दिल्ली।
(गिरोह के वित्तीय लेन-देन एवं तकनीकी संचालन में सक्रिय सहयोगी।)

बरामदगी का विस्तृत विवरण-

गिरफ्तार अभियुक्तों की जामा तलाशी एवं कब्जे से साइबर धोखाधड़ी में प्रयुक्त बैंकिंग दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, एटीएम/डेबिट/क्रेडिट कार्ड, सिम कार्ड, वित्तीय अभिलेख एवं अन्य आपत्तिजनक सामग्री बरामद की गई है।

01- अभियुक्त विनीत कुमार के कब्जे से विभिन्न बैंकों की 15 पासबुक, विभिन्न बैंकों की 05 चेकबुक, 05 डेबिट/एटीएम/शॉपिंग कार्ड, KAVISH ENTERPRISES का लेटर पैड एवं मोहर, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, निर्वाचन पहचान पत्र एवं विजिटिंग कार्ड, विभिन्न कंपनियों के 09 मोबाइल फोन, 06 सिम कार्ड (05 एयरटेल एवं 01 वीआई), 01 अदद HP कंपनी का लैपटॉप, FIRST STEP HOLIDAY एवं KAVISH ENTERPRISES से संबंधित पंजीकरण अभिलेख, 02 सफेद धातु की अंगूठियां एवं 01 पीली धातु की अंगूठी।

02- अभियुक्त मनीष के कब्जे से 01 अदद NOTHING कंपनी का मोबाइल फोन, बैंक ऑफ इंडिया, शाखा राजापुर का अनुज सिंह के नाम का बैंक पासबुक, विभिन्न बैंकों के 13 डेबिट/क्रेडिट/एटीएम कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, कैंटीन कार्ड एवं अन्य पहचान संबंधी दस्तावेज।

3- अभियुक्त धर्मेन्द्र कुमार यादव के कब्जे से 01 अदद मोबाइल फोन बरामद।

कुल बरामदगी-

16 पासबुक,05 चेकबुक,18 डेबिट/एटीएम/क्रेडिट/शॉपिंग कार्ड,10 मोबाइल फोन,06 सिम कार्ड,01 अदद HP कंपनी का लैपटॉप,KAVISH ENTERPRISES का लेटर पैड एवं मोहर,विभिन्न बैंकिंग एवं पहचान संबंधी दस्तावेज,व्यावसायिक पंजीकरण अभिलेख,03 अंगूठियां (02 सफेद धातु एवं 01 पीली धातु) ।

बरामद इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों, बैंकिंग दस्तावेजों एवं डिजिटल साक्ष्यों का तकनीकी एवं फॉरेंसिक परीक्षण कराया जा रहा है। साथ ही साइबर धोखाधड़ी नेटवर्क से जुड़े अन्य व्यक्तियों, बैंक खातों, मोबाइल नंबरों एवं वित्तीय लेन-देन की गहन जांच कर उनके विरुद्ध भी नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पंजीकृत मु0अ0सं0-137/2026 धारा 3(5), 112(2), 319(2), 318(4), 317(2), 338, 336(3), 340(2) भारतीय न्याय संहिता (BNS) थाना उदयपुर में विवेचना के दौरान प्राप्त साक्ष्यों एवं बरामदगी के आधार पर आवश्यक धाराओं की बढ़ोत्तरी करते हुए अग्रिम विधिक कार्यवाही नियमानुसार प्रचलित है।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-
उपनिरीक्षक राजेश कुमार शुक्ला (विवेचक),उपनिरीक्षक संजय यादव,कांस्टेबल गिरीश कुमार,महिला कांस्टेबल अरुणावती मौर्या,थाना उदयपुर पुलिस एवं साइबर सेल की संयुक्त टीम।

प्रतापगढ़ पुलिस की अपील-
प्रतापगढ़ पुलिस आमजन से अपील करती है कि किसी भी व्यक्ति को आर्थिक लाभ अथवा किसी भी प्रकार के प्रलोभन में आकर अपना बैंक खाता, एटीएम कार्ड, पासबुक, चेकबुक, सिम कार्ड अथवा यूपीआई क्यूआर कोड किसी अन्य व्यक्ति को उपलब्ध न कराएं। ऐसा करना आपको भी साइबर अपराध का सहभागी बना सकता है तथा इसके लिए कठोर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।

यदि आपके साथ किसी भी प्रकार की साइबर धोखाधड़ी होती है तो तत्काल साइबर हेल्पलाइन नम्बर 1930, www.cybercrime.gov.in अथवा निकटतम पुलिस थाने पर शिकायत दर्ज कराएं। प्रतापगढ़ पुलिस साइबर अपराधों की रोकथाम एवं आमजन की सुरक्षा के लिए सतत प्रतिबद्ध है।

प्रेस नोट दिनांक- 21.07.2026
थाना सांगीपुर, जनपद प्रतापगढ़।

प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा अपराध व अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही जारी-
थाना सांगीपुर पुलिस द्वारा हत्या के प्रयास के अभियोग से संबंधित 01 वांछित अभियुक्त अमरपाल कोरी को किया गया गिरफ्तार।
अभियुक्त अमरपाल कोरी को थाना सांगीपुर क्षेत्रान्तर्गत पचखरा गाँव के पास से गिरफ्तार किया गया है।

घटना का संक्षिप्त विवरण
प्रार्थिनी वादिनी ने आरोप लगाया कि दिनांक 18.07.2026 की शाम को पचखरा गाँव में पुरानी रंजिश के चलते आरोपी अमरपाल, अमरनाथ और विपिन ने एकराय होकर प्रार्थिनी के पति वंशीलाल और पुत्र शिवम पर कुल्हाड़ी व लाठी-डंडों से जानलेवा हमला कर दिया, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए। इस संबंध में थाना सांगीपुर पर मु0अ0सं0 162/2026 धारा 115(2)/352/351(3)/131/110/109(1) बीएनएस के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री बृजनन्दन राय व क्षेत्राधिकारी लालगंज श्री राजीव द्विवेदी के कुशल पर्वेक्षण में थाना प्रभारी सांगीपुर श्री गौरव त्रिवेदी के नेतृत्व में उ0नि0 ज्ञानेन्द्र कुमार मय

हमराह का0 प्रदीप कुशवाहा, का0 अमित कुमार यादव द्वारा वांछित अभियुक्तों की तलाश में क्षेत्र में भ्रमणशील थे। मुखबिर की सूचना पर पचखरा गाँव के पास से 01 वांछित अभियुक्त अमरपाल कोरी पुत्र स्व० रामकिशुन कोरी उम्र करीब 60 वर्ष निवासी पचखरा थाना सांगीपुर जनपद प्रतापगढ़ को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त आलाकत्ल 01 अदद कुल्हाड़ी बरामद की गई।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. अमरपाल कोरी पुत्र स्व० रामकिशुन कोरी उम्र करीब 60 वर्ष निवासी पचखरा थाना सांगीपुर जनपद प्रतापगढ़ ।

पुलिस टीम का विवरण-

उ0नि0 ज्ञानेन्द्र कुमार मय हमराह का0 प्रदीप कुशवाहा, का0 अमित कुमार यादव, थाना सांगीपुर, जनपद प्रतापगढ़।

प्रेस नोट दिनांक 21.07.2026
थाना लीलापुर, जनपद प्रतापगढ़

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ के निर्देशन में थाना लीलापुर पुलिस द्वारा "गैंगस्टर एक्ट" के अभियोग से संबंधित 01 वांछित अभियुक्त सतीश पटेल को गिरफ्तार किया गया ।

अभियुक्त सतीश पटेल के विरुद्ध लूट, हत्या का प्रयास, आर्म्स एक्ट, गैंगस्टर एक्ट जैसे गंभीर लगभग कुल 09 अभियोग पंजीकृत हैं-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री बृजनन्दन राय एवं क्षेत्राधिकारी लालगंज श्री राजीव द्विवेदी के कुशल पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक लीलापुर श्री अमला सिंह मय उ0नि0 दीपक कुमार यादव, उ0नि0 सुमित कुमार वर्मा मय हमराह का0 प्रवीण कुमार, का0 प्रेमदत्त, रि0का0 सचिन कुमार, रि0का0 राकेश कुमार यादव व रि0म0का0 जुही बानो मय चालक का0 योगेश कुमार द्वारा देखभाल क्षेत्र, तलाश वांछित/वारंटी अभियुक्त एवं संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0 221/2026, धारा 2/3 उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप (निवारण) अधिनियम, थाना लीलापुर, जनपद प्रतापगढ़ से संबंधित वांछित 01 अभियुक्त सतीश पटेल पुत्र लालचन्द्र पटेल नि० ग्राम महमदपुर थाना महेशगंज जनपद प्रतापगढ उम्र करीब 23 वर्ष को उसके घर के पास से गिरफ्तार किया गया ।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. सतीश पटेल पुत्र लालचन्द्र पटेल नि0 ग्राम महमदपुर थाना महेशगंज जनपद प्रतापगढ उम्र करीब 23 वर्ष ।

अभियुक्त सतीश पटेल पुत्र लालचन्द्र पटेल नि0 ग्राम महमदपुर थाना महेशगंज जनपद प्रतापगढ उम्र करीब 23 वर्ष का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 64/25, धारा 309(6)/317(2) बीएनएस, थाना संग्रामगढ़, जनपद प्रतापगढ़।
2. मु0अ0सं0 65/25, धारा 309(4) बीएनएस, थाना संग्रामगढ़, जनपद प्रतापगढ़।
3. मु0अ0सं0 72/25, धारा 309(6) बीएनएस, थाना मानिकपुर, जनपद प्रतापगढ़।
4. मु0अ0सं0 75/25, धारा 309(6)/317(2)/3(5) बीएनएस एवं 3/25 आयुध अधिनियम, थाना महेशगंज, जनपद प्रतापगढ़।
5. मु0अ0सं0 01/26, धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट, थाना मानिकपुर, जनपद प्रतापगढ़।
6. मु0अ0सं0 62/26, धारा 324(2)/317(2)/61(2)(a) बीएनएस, थाना लीलापुर, जनपद प्रतापगढ़।
7. मु0अ0सं0 68/26, धारा 109(1)/352/31(3) बीएनएस एवं 3/25/27 आयुध अधिनियम, थाना लीलापुर, जनपद प्रतापगढ़।
8. मु0अ0सं0 85/26, धारा 309(5)/61(2)(ए)/126(2) बीएनएस, थाना लालगंज, जनपद प्रतापगढ़।
9. मु0अ0सं0 221/2026, धारा 2/3 उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप (निवारण) अधिनियम, थाना लीलापुर, जनपद प्रतापगढ़ ।

पुलिस टीम का विवरण-
प्रभारी निरीक्षक लीलापुर श्री अमला सिंह मय उ0नि0 दीपक कुमार यादव, उ0नि0 सुमित कुमार वर्मा मय हमराह का0 प्रवीण कुमार, का0 प्रेमदत्त, रि0का0 सचिन कुमार, रि0का0 राकेश कुमार यादव व रि0म0का0 जुही बानो मय चालक का0 योगेश कुमार, थाना लीलापुर, जनपद प्रतापगढ़।

प्रेस नोट दिनांक 21.07.2026
थाना कंधई जनपद प्रतापगढ़।

थाना कंधई पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा अपराधिक क्रिया कलापों में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, थाना कंधई के उ0नि0 सुनील कुमार राय मय हमराह हे0का0 अनूप मिश्रा द्वारा जांच प्रार्थना पत्र, देखभाल क्षेत्र/तलाश वांछित वारण्टी अभियुक्त के दौरान, ओल्ड क्रि०केस0 1700432/2006 धारा 7/16 फूड सेफ्टी एण्ड स्टैण्डर्ड एक्ट थाना कंधई जनपद प्रतापगढ़ से संबंधित 01 अभियुक्त विजय प्रकाश पुत्र बदी प्रसाद जायसवाल उम्र करीब 70 वर्ष निवासी ग्राम कन्धई हनुमानगंज के थाना कन्धई जनपद प्रतापगढ़ को थाना क्षेत्रान्तर्गत उसके घर के पास से गिरफ्तार किया गया ।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
1. विजय प्रकाश पुत्र बदी प्रसाद जायसवाल उम्र करीब 70 वर्ष निवासी ग्राम कन्धई हनुमानगंज के थाना कन्धई जनपद प्रतापगढ़ ।

पुलिस टीम -
उ0नि0 सुनील कुमार राय मय हमराह हे0का0 अनूप मिश्रा थाना कंधई जनपद प्रतापगढ़ ।

प्रेस नोट दिनांक 21.07.2026
थाना फतनपुर, जनपद प्रतापगढ़

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के कुशल निर्देशन में "ऑपरेशन प्रहार" के अन्तर्गत थाना फतनपुर पुलिस द्वारा कुल 1.216 कि0ग्रा0 अवैध गांजा के साथ 01 अभियुक्त आशीष उर्फ पंकज जायसवाल को किया गया गिरफ्तार-

थाना फतनपुर पुलिस अभियुक्त को थाना फतनपुर क्षेत्रान्तर्गत नहर पुलिया के पास ग्राम चन्द्रौता गौरापूरेबदल के पास से गिरफ्तार किया गया-

जनपद प्रतापगढ़ में पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के कुशल निर्देशन में "ऑपरेशन प्रहार" प्रभावी रूप से संचालित किया जा रहा है, जिसके तहत आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त तत्वों के विरुद्ध सतत एवं कठोर कार्यवाही की जा रही है।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री आलोक कुमार व सहायक पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी रानीगंज श्री प्रशान्त राज के कुशल पर्वेक्षण में थाना प्रभारी फतनपुर श्री मनीष कुमार त्रिपाठी के नेतृत्व में उ0नि0 राजनाथ यादव यादव व उ0नि0 संतोष कुमार वर्मा मय हमराह का0 आशुतोष तिवारी, का0 देवेन्द्र कुमार, का0 रुद्रांश चौबे, रि0आ0 आलोक गुप्ता, रि0आ0 शिवपूजन, रि0का0 सुशील कुमार द्वारा संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की चेकिंग के दौरान, मुखबिर की सूचना पर 01 अभियुक्त आशीष उर्फ पंकज जायसवाल पुत्र शिवमूरत जायसवाल उम्र करीब 28 वर्ष निवासी ग्राम बरहदा थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़ को कुल 1.216 कि0ग्रा0 अवैध गांजा के साथ थाना फतनपुर क्षेत्रान्तर्गत नहर पुलिया के पास ग्राम चन्द्रौता गौरापूरेबदल के पास से गिरफ्तार किया गया

अभियुक्त के कब्जे से कुल 1.216 कि0ग्रा0 अवैध गांजा बरामद किया गया, जिसके संबंध में थाना फतनपुर में मु0अ0सं0-196/2026 धारा 8/20 NDPS Act थाना फतनपुर जनपद प्रतापगढ़ का अभियोग पंजीकृत किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
1. आशीष उर्फ पंकज जायसवाल पुत्र शिवमूरत जायसवाल उम्र करीब 28 वर्ष निवासी ग्राम बरहदा थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़।

बरामदगी-
कुल 1.216 कि0ग्रा0 अवैध गांजा बरामद।

पुलिस टीम का विवरण-

उ0नि0 राजनाथ यादव यादव व उ0नि0 संतोष कुमार वर्मा मय हमराह का0 आशुतोष तिवारी, का0 देवेन्द्र कुमार, का0 रुद्रांश चौबे, रि0आ0 आलोक गुप्ता, रि0आ0 शिवपूजन, रि0का0 सुशील कुमार थाना फतनपुर, जनपद प्रतापगढ़ ।

बयान-

जनपद प्रतापगढ़ में अवैध मादक पदार्थों की बिक्री एवं प्रसार की रोकथाम हेतु प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा निरंतर विशेष अभियान संचालित किया जा रहा है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य जनपद को नशामुक्त वातावरण प्रदान करना तथा समाज, विशेषकर युवाओं, को इस गंभीर बुराई से सुरक्षित रखना है।

आमजन से अपील है कि यदि कहीं भी अवैध रूप से मादक पदार्थों का निर्माण, क्रय-विक्रय या तस्करी होती दिखाई दे, तो इसकी सूचना तत्काल पुलिस नियंत्रण कक्ष के मोबाइल नंबर — 6307363107 पर दें। आपकी पहचान पूर्णत: गोपनीय रखी जाएगी।

प्रेस नोट दिनांक- 21.07.2026
थाना दिलीपपुर जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ के निर्देशन में थाना दिलीपपुर पुलिस द्वारा "अपहरण, दुष्कर्म, पॉक्सो एक्ट व धर्म संपरिवर्तन" के अभियोग से संबंधित ₹25,000 का ईनामियां 01 अभियुक्त, कैफ पुत्र अब्दुल अजीज उर्फ कल्लू को किया गया गिरफ्तार-

थाना दिलीपपुर पुलिस द्वारा अभियुक्त को थाना क्षेत्रान्तर्गत सिंगठी खालसा मे स्थित आँवला की बाग के पास से गिरफ्तार किया गया-

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री आलोक कुमार व क्षेत्राधिकारी पट्टी श्री प्रदीप सिंह के कुशल पर्वेक्षण में थानाध्यक्ष बलराम सिंह मय हमराह उ0नि0 रमिल कुमार, उ0नि0 सुजीत कुमार यादव, हे का0 सुभाष विश्वकर्मा, का0 धीरज सिंह, का0 आनन्द प्रकाश यादव, रि0म0का0 धारा सिंह, रि0का0 राहुल वेनवंशी, रि० आ० रामजनम चालक का0 विनोद यादव द्वारा देखभाल क्षेत्र/ तलाश वांछित, वारण्टी अभियुक्त व संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर ₹25,000 का ईनामियां अन्तर्गत धारा 74/123/64/352/351(3)/137(2)/87/3(5) बीएनएस व 3/4/7/8/16/17 पाक्सो एक्ट व 3,5(1) विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधि0 थाना दिलीपपुर, जनपद प्रतापगढ से संबंधित 01 अभियुक्त कैफ पुत्र अब्दुल अजीज उर्फ कल्लू निवासी ग्राम सिंगठी खालसा मजरे खरगपुर थाना दिलीपपुर जनपद प्रतापगढ उम्र करीब 22 वर्ष को थाना क्षेत्रान्तर्गत सिंगठी खालसा मे स्थित आँवला की बाग के पास से गिरफ्तार किया गया।

ईनामियां गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. कैफ पुत्र अब्दुल अजीज उर्फ कल्लू निवासी ग्राम सिंगठी खालसा मजरे खरगपुर थाना दिलीपपुर जनपद प्रतापगढ उम्र करीब 22 वर्ष

पुलिस टीम-
थानाध्यक्ष बलराम सिंह मय हमराह उ0नि0 रमिल कुमार, उ0नि0 सुजीत कुमार यादव, हे का0 सुभाष विश्वकर्मा, का0 धीरज सिंह, का0 आनन्द प्रकाश यादव, रि0म0का0 धारा सिंह, रि0का0 राहुल वेनवंशी, रि० आ० रामजनम चालक का0 विनोद यादव थाना दिलीपपुर, जनपद प्रतापगढ़ ।